तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जब मजूरसाहब जज
	31 पार्ट B.C.P.C. 4.34 243/17
8/7/21	[illegible] 19 से होने वाले सार्वजनिक [illegible] रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स [illegible] पत्रावली पर उपस्थित [illegible] अधिकारी तौर/मोटिव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14-9-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
14-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय पक्षकार [illegible] उपखण्ड अधिकारी तौर/अन्य कार्य में व्यस्त/मोटिंग में है। पत्रावली प्रथम कार्यवाही हेतु दिनांक 9-12-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
17.02.2022	दिनांक 09.12.2021 से इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण मय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में [illegible] पत्र 151 सीपीसी को अदम हाजरी व अदम पैरवी [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.25 13:42:50 IST
Reason: SelfAttested

17/02/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)